353

समक्ष—माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क्र0 /2018/ /निगरानी
निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/0290

मिश्रीलाल फोत वारिसा—
1— विनोद कुमार,
2— दिनेश कुमार पुत्रगण स्व0 मिश्रीलाल
राधेश्याम पुत्र मिश्रीलाल फोत वारिसान
3— सतीश
4— मनीष
5— रबीश नाबालिग पुत्रगण स्व0 राधेश्याम सरपरस्त मां रामा वेवा राधेश्याम
6— गुडिया
7— प्रीती दोनों नाबालिग पुत्रियां स्व0 राधेश्याम सरपरस्त मां रामा वेवा स्व0 राधेश्याम समस्त जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम निवी तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

———निगरानीकर्ता/आवेदकगण

दिनांक 9-1-18 को
श्री ... कृ0 आवेदकों
द्वारा प्रस्तुत।
9-1-18
पं0 दि0 7-2-18

बनाम

मुरारीलाल शर्मा पुत्र दीनानाथ शर्मा जाति ब्राम्हण अिनवसी छत्री का पुरा ग्राम गलेथा हाल निवासी गोपालपुरा मुरैना तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

———गैरनिगरानीकर्ता /अनावेदक

9/1/18

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 23/12/2017 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्रकरण क्रमांक 73/2015—16 अपील माल अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959

श्रीमानजी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न लिखित प्रस्तुत है:—

1— यह कि, ग्राम निवी तहसील व जिला मुरैना में भूमि खाता क्रमांक 90 सर्वे क्रमांक 146 रकवा 8 बीघा 13 विस्वा स्थित है जो आवेदकगण के पिता एवं बाबा के स्वामित्व आधिपत्य की थी। उक्त भूमि में से भाग 1/3 विवादित है। जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2— यह कि, उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में अनावेदक के द्वारा लगभग 39 साल उपरान्त एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/290

मिश्रीलाल विरूद्ध मुरारीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
11-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुरैना जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 11-3-19 सदस्य	